जावक क्रमांक : 1705 दिनांक : 22/8/0

XXX-Part- 21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक दि. सं. 6872

यह प्रमाणित किया जाता है कि जे0के0 एजूकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी समिति जो बसस्टैण्ड करबला रोड बीजेपी कार्यालय बिलासपुर तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 27/8/2007 को पंजीयित की गई है।

दिनांक सत्ताईस माह अगस्त सन् 200 7

सहायक पंजीयक समितियाँ बिलासपुर

समितियों के रजिस्ट्रार

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

GRPRG-FS/288 (2006) 4,000

प्रारूप क्रमांक – 1

(२)05/2027/B-20/9/07

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन – पत्र

(देखिये नियम –3)

1. समिति का नाम : जे.के. एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी होगा।
2. समिति का कार्यालय : बस स्टैन्ड, करबला रोड, बी.जे.पी. कार्यालय के सामने, बिलासपुर
3. तहसील व जिला : जिला – बिलासपुर (छ.ग.) में स्थित होगा।

समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

1. शिक्षण संस्थाओं का संचालन एवं इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, होम्योपैथिक कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, मेडिकल कालेज, पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग कालेज खोलना तथा संचालन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय शिक्षा का विकास करना।
3. पिछड़े वर्ग के समुदाय का उत्थान करना।
4. शासन द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाओं को सहयोग प्रदान करना।
5. अन्य वे कार्य जो सोसायटी द्वारा समय–समय पर तय किये जावें।

सत्य प्रतिलिपि

(4) समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध, शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी समिकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका का उल्लेख निम्नांकित है :–

क्र.	नाम	पिता /पति.का नाम	पद	पूरा पता	उपजीविका
1.	श्री जे.एन.चोकरो	श्री छदामी लाल चौकरो	अध्यक्ष	करबला रोड, बी.जे.पी.कार्यालय के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)	व्यवसाय
2.	श्री के. खान	श्री इलाही बक्स	उपाध्यक्ष	करबला रोड, बी.जे.पी.कार्यालय के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)	व्यवसाय
3.	श्री तस्लीम आरिफ खान	श्री .के. खान	कोषाध्यक्ष	करबला रोड बिलासपुर (छ.ग.)	इंजीनियर
4.	डॉ. आई.ए.खान	श्री के. खान	सचिव	करबला रोड बिलासपुर (छ.ग.)	डॉक्टर
5.	श्रीमती शकीला खान	श्री के. खान	सदस्य	करबला रोड, बी.जे.पी.कार्यालय के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)	गृहणी
6.	श्रीमती नबीला खान	श्री तसलीम आरिफ खान	सदस्य	करबला रोड बिलासपुर (छ.ग.)	गृहणी
7.	ज्ञान चंद जायसवाल	श्री किशन चंद जायसवाल	सदस्य	करबला चौक बिलासपुर (छ.ग.)	व्यवसाय

यह कार्यालय द्वारा ज्ञापन पत्र की मात्र प्रति है, कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची नहीं है।

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म. प्र. सो. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधिन अपेक्षित है संलग्न है,

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते निचे लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	अभिदाताओं के नाम	पिता / पति का नाम	पूर्ण पते	हस्ताक्षर
1.	श्री जे.एन.चौकसे	श्री छदामी लाल चौकसे	करबला रोड, बी.जे.पी.कार्यालय के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)	
2.	श्री के. खान	श्री इलाही बक्श	करबला रोड, बी.जे.पी.कार्यालय के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)	
3.	श्री तसलीम आरिफ खान	श्री .के. खान	करबला रोड बिलासपुर (छ.ग.)	
4.	डॉ. आई.ए.खान	श्री के. खान	करबला रोड बिलासपुर (छ.ग.)	
5.	श्रीमती शकीला खान	श्री के. खान	करबला रोड, बी.जे.पी.कार्यालय के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)	
6.	श्रीमती नबीला खान	श्री तसलीम आरिफ खान	करबला रोड बिलासपुर (छ.ग.)	
7.	डाली चंद जायसवाल	श्री किशन चंद जायसवाल	करबला चौक बिलासपुर (छ.ग.)	

सत्य प्रतिलिपी

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग
बिलासपुर

प्रति,

समितियों के रजिस्ट्रार,

बिलासपुर

साक्षी

हस्ताक्षर :

नाम : विकास चन्द्रवंशी

पूर्ण पता : तेलीपारा गली नं. 1 बिलासपुर (छ.ग.)

प्रमाणपत्र प्राप्त
शुल्क 280 चालान क 2446402/30
दिनांक 5/9/10 द्वारा किया गया है। पं
जीयन क 6872 दिनांक 21.8.107
द्वारा पंजीकृत के ... का मूल दस्तावेज
की प्रमाणित प्रति जारी होने के
...

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

SUB REGISTRAR OFFICE
BILASPUR

NON JUDICIAL

SPECIAL ADHESIVE

भारत 03142
142461 SEP 05 2007
zero zero zero zero zero one zero 13:51
Rs.0000010/-PB5324
INDIA STAMP DUTY CHHATTISGARH

R- 6872
27.8.07

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग
बिलासपुर

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

<u>नियमावली</u>

1. समिति का नाम : जे.के. एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी होगा।
2. समिति का कार्यालय : बस स्टैन्ड, करबला रोड, बी.जे.पी. कार्यालय के सामने, बिलासपुर जिला – बिलासपुर (छ.ग.) में स्थित होगा।
3. समिति का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण बिलासपुर संभाग होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

   1. शिक्षण संस्थाओं का संचालन एवं इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, होम्योपैथिक कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, मेडिकल कालेज, पेरा मेडिकल एवं नर्सिंग कालेज खोलना तथा संचालन करना।
   2. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय शिक्षा का विकास करना।
   3. पिछड़े वर्ग के समुदाय का उत्थान करना।
   4. शासन द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाओं को सहयोग प्रदान करना।
   5. अन्य वे कार्य जो सोसायटी द्वारा समय-समय पर तय किये जावें।

सत्य प्रतिलिपि

5. <u>सदस्यता</u> :- संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :

(अ) <u>*संरक्षण सदस्य*</u> :-

संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 100000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा।

(ब) <u>*आजीवन सदस्य*</u> :-

जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 20000/- या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 80000/- या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है

(स) <u>*साधारण सदस्य*</u> :-

जो व्यक्ति रूपये 100 - प्रतिमाह एवं रूपये 1200/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये वह चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

for

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL AKALTARA

(द) *<u>सम्मानीय सदस्य</u>* :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। जनकल्याण एवं सेवाभाव से प्रेरित व्यक्ति भी निःशुल्क सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

(6) <u>सदस्यता की प्राप्ति</u> :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा नियक आवेदन पत्र को स्वीकार करने का अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) <u>सदस्यों की योग्यता</u> :- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

सत्य प्रतिलिपी

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो

(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) <u>सदस्यता की समाप्ति</u> :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी :-
(1)मृत्यु हो जाने पर। (2)पागल हो जाने पर। (3)संस्था को देय रकम नियम 5 में बताए अनुसार जमा न करने पर। (4)त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। (5)चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

(9) <u>संस्था कार्यालय में सदस्य पूँजी रखी जावेगी जिसमें निम्न व्यौरे दर्ज किये जावेंगे</u> :-
(1)प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर।
(2)वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
(3)वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
(4)सदस्यों के हस्ताक्षर।

(10) *(अ)<u>साधारण सभा</u>* :- साधारण सभा के नियम नं. 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे।साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक एक बार बैठक अनिवार्य होगी जिसका माह जून होगा। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारणी समिति निश्चित् कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दे दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदसय्यों का होगा। संस्था का आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के अंदर बुलाई जावेगी।उसमें संस्था के पदाधिकारीयों का विधिवत् निर्वाचन किया जायेगा, यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारीयों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) <u>प्रबंधकारिणी सभा</u> :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक के सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

(स) *विशेष* :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प के प्रति बैठक पंजीयन को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार रहेगा।

(11) <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य</u> :-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकार करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) <u>प्रबंधकारिणी का गठन</u> :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेगे, नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्य जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा

(1) अध्यक्ष,	(2) उपाध्यक्ष	(3) सचिव
(4) कोषाध्यक्ष	(5) सदस्य 3	

सत्य प्रतिलिपी

(13) <u>प्रबंध समिति का कार्यकाल</u> :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह सेअधिक नही होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा के बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था के चल - अचल संपत्ति, पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय- समय पर सौपा जांए।

(ग) संस्था की समस्त चल - अचल संपत्ति कार्य कारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(घ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं कर सकते।

(15) <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा [illegible] प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णायक होगा।

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्ममुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के समस्त कागजात तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 5000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

(18) सं. सचिव के अधिकार :– सचिव के अनुपस्थिति में सं. सचिव कार्य करेंगे।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

सत्य प्रतिलिपी

(20) बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधी किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 50000/– रहेंगे।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तगर्त संस्था की वार्षिक ग्राम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची शुल्क सहित फाइल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तागर्त प्रति वर्ष 31 जुलाई तक संस्था की परीक्षित लेखा शुल्क सहित भेजेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

(22) संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संसोधन हेतु प्रस्ताव नियत शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

(23) विघटन :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल एवं अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त संपूर्ण कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) संपत्ति :– संस्था की समस्त चल एवं अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या हस्तांरित नहीं की जा सकेगी। अतएव उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

(25) **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधी किसी अनुसुचित बैंक या पोस्ट आफिस में डाला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी तथा संस्था द्वारा कालेजों के निर्माण एवं संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तिय संस्थाओं से किसी भी सीमा तक ऋण प्राप्त करना।

(26) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(27) **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो व रजिस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधन समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(28) **अर्थदण्ड निष्कासन** :–

सत्य प्रतिलिपी

(क) जो सदस्य वार्षिक चन्दे की रकम उस वर्ष में नियमनुसार जमा नही करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अन्दर चन्दे की रकम अदा करने पर 30 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करनी पड़ेगी।

(ख) जो सदस्य मासिक चन्दे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नही करेगा तो उसको तीन माह के अन्दर 25 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना होगा।

(ग) वार्षिक या मासिक चन्दा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार चन्दा नहीं दे तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात लगातार छः माह तक चन्दा नहीं देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य का नाम काटने का निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(ङ) प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर यह संतोष हो जाए की कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरित कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति के सम्पत्ति को हानि पहुँच रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो, तो ऐसी स्थिति में सदसय को सदस्यता समाप्ता करने के संबन्ध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन पंचमांश के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

==

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग
बिलासपुर

प्रमाणित प्रति

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

दिनांक 5/9/07 चालान क्र. 2464402/30
मौखिक क्र. 68772 दिनांक 27/8/07

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA

INDIA STAMP DUTY CHHATTISGARH

R-6872
27.8.07
जे.के. एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी बिलासपुर

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग
बिलासपुर

for -

PRINCIPAL
DHIRENDRA KUMAR SINGH
GLOBAL SCHOOL, AKALTARA